गोपनीय/शीर्ष प्राथमिकता

संख्या: 1985 आर/छः-पु0-5-6-670/83

प्रेषक,

सचिव, गृह विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश।

गृह (पुलिस) अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक: 03 जून, 1998

विषय: आग्नयास्त्रों एवं गोला बारूद के व्यवसायिक लाइसेन्सों की स्वीकृति संबंधी प्रस्तावों के साथ अपेक्षित सूचना हेतु नीति निर्धारण।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि व्यवसायिक शस्त्र लाइसेंसों की स्वीकृति के संबंध में लाइसेंसिंग प्राधिकारियों हेतु विस्तृत दिशा निर्देश पुनः प्रसारित किये जा रहे हैं। लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा शस्त्र अधिनियम, 1959 एवं शस्त्र नियमावली, 1962 के अनुरूप कार्यवाही की जाती है। प्रपत्र 11,12,13 एवं 14 के संबंध में लाइसेंसिंग प्राधिकारी के मूल अधिकार उत्तर प्रदेश शासन में निहित हैं। प्रदेश सरकार द्वारा प्रपत्र 13 एवं 14 के संबंध में विज्ञप्ति संख्या:6372-आर(7)/8-बी.-18/60 दिनांक 1 अक्टूबर, 1962 द्वारा अधिकार जिला मजिस्ट्रेटों को प्रतिनिहित कर दिये गये हैं। प्रपत्र 13 एवं 14 के लाइसेंस पर उत्तर प्रदेश शासन की अनापत्ति के पश्चात जिला मजिस्ट्रेट द्वारा लाइसेंस निर्गत किये जाते हैं। शासनादेश संख्या: 3618आर/छः-पु0-5-670/83, दिनांक 30 अगस्त, 1994 एवं संख्या:3784आर/छः-पु0-5-670/83, दिनांक 16-9-94 द्वारा नये लाइसेंस जारी करने के संबंध में समुचित निर्देश जारी किये गये थे। व्यवसायिक शस्त्र लाइसेंसों के संबंध में प्रार्थनापत्रों पर निम्नवत् कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

1. आवेदक के प्रार्थनापत्र पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक से आख्या प्राप्त की जायेगी। थानाध्यक्ष से संस्तुति प्राप्त करके यह आख्या निर्धारित समय सीमा अथवा विलम्बतम एक माह में जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय को उपलब्ध करा दी जायेगी। आवेदक के पार्थनापत्र पर एस.डी.एम. से भी रिपोर्ट प्राप्त की जायेगी। एस.डी.एम. द्वारा तहसीलदार/नायब तहसीलदार से आख्या प्राप्त करने के उपरान्त अपनी संस्तुति निर्धारित समय सीमा अथवा विलम्बतम एक माह में जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय को उपलब्ध करा दी जायेगी।
2. आवेदक के प्रार्थनापत्र पर मुख्य अग्निशमन अधिकारी/अग्निशमन अधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा अथवा विलम्बतम एक माह में जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय को अपनी संस्तुति उपलब्ध करा दी जायेगी, ताकि अग्नि सुरक्षा के विषय पर विशेषज्ञ मत प्राप्त हो सके।

3. यदि व्यवसायिक शस्त्र लाइसेंस पहले से विद्यमान है और उस पर साझीदार, एजेन्ट एवं सेल्समैन इत्यादि का नाम दर्ज कराना हो अथवा उसमें कोई परिवर्तन वांछित हो तो पूर्ववत् इस संबंध में शासकीय अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। यदि उत्तराधिकार के आधार पर व्यवसायी का नाम परिवर्तन किया जाना तो भी पूर्ववत् शासकीय अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

4. शासन को भेजे जाने वाले प्रस्ताव पर निम्नलिखित सूचनाऐं समुचित छानबीन के पश्चात् अनिवार्यतः उपलब्ध कराई जायेंगी:-

क- गत वर्ष जनपद के विद्यमान शस्त्र व्यवसायिक लाइसेंस धारकों द्वारा कितने-कितने आग्नेयास्त्र (एसबीबीएल/डीबीबीएल गन्स, रायफल, रिवाल्वर एवं पिस्टल) एवं उनके कारतूस आदि बेचे गये तथा कितने शस्त्रों की मरम्मत की गई। यह सूचना लाइसेंसीवार दी जाय।

ख- पिछले तीन वर्षों में जनपद में स्वीकृत व्यक्तिगत शस्त्र लाइसेंसों की शस्त्रवार संख्या उपलब्ध कराई जाय।

ग- नवसृजित जनपद में यदि कोई शस्त्र व्यवसायिक लाइसेंसधारक नहीं है तो उसका स्पष्ट उल्लेख किया जाय।

घ- जिन जनपदों में पहले से शस्त्र व्यवसायिक लाइसेंसी उपलब्ध हैं, यदि उनकी ऐसी किसी खास तहसील में शस्त्र व्यवसाय हेतु लाइसेंस आवेदित किया जा रहा है, जहॉ वर्तमान में शस्त्र व्यवसाय की कोई दुकान नहीं है, तो साधारणतः ऐसे स्थानों हेतु पहले प्रपत्र-13 एवं 14 के लाइसेन्स के आवेदन पत्र ही शासन को भेजे जायें। प्रपत्र-13 एवं 14 के लाइसेन्स स्वीकृत होने के कम से कम 2 वर्ष बाद ही लाइसेंसी के अनुभव एवं उसकी आम ख्याति का ऑकलन करके यथावश्यकतानुसार प्रपत्र-11 एवं 12 के लाइसेंसों के आवेदन पत्र शासन को भेजे जायें।

ङ- प्रपत्र-11 के लाइसेन्स चूँकि आग्नेयास्त्रों की मरम्मत एवं बिक्री दोनों के लिये दिये जा सकते हैं अतः आवश्यकता के अनुसार केवल प्रपत्र-11 अथवा प्रपत्र-12 का ही आवेदन पत्र शासन को भेजा जाय तथा दोनों लाइसेंसों के आवेदन पत्र एक साथ न भेजे जायें।

च- शस्त्र मरम्मत हेतु प्रपत्र-11 के लाइसेन्स के प्रस्ताव के साथ यह सूचित किया जाय कि आवेदक द्वारा प्रस्तावित दुकान आबादी के बीच में स्थित है या नहीं?

छ- प्रपत्र-11 के प्रस्ताव के साथ शस्त्र मरम्मत करने वाले कारीगर के बारे में यह भी जानकारी दी जाय कि:-

(प) कारीगर द्वारा अन्य किस-किस दुकान पर शस्त्र मरम्मत का कार्य किया जा रहा है।

(पप) क्या कारीगर के पास कोई श्स्त्र व्यवसायिक लाइसेंस भी है और यदि हॉ तो उसका विवरण।

(पपप) कारीगर का आपराधिक इतिहास तथा क्या कारीगर के विरुद्ध कोइई मुकदमा तो नहीं चल रहा है।

5. शासनादेश दिनांक 16-9-94 के अनुरूप सूची 'ए', 'बी' एवं 'सी' पर पूर्ण सूचना शासन को 15 दिवस में अथवा निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध करा दी जायेगी।

6. शस्त्र व्यवसाय हेतु लाइसेंसों की संस्तुतियां समुचित एवं गहन परीक्षण के उपरान्त ही की जायें तथा आवेदक द्वारा यदि पूर्व में कभी इस हेतु आवेदन किया गया हो तो उसका विवरण व परिणाम भी अंकित किय जाय।

आपसे अनुरोध है कि कृपया तदनुसार परीक्षणोपरान्त आवश्यक समस्त सूचना/सामग्री सहित समुचित प्रस्ताव ही शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन0 रविशंकर)
सचिव गृह।

संख्या: 1985 आर/छः-पु0-5-6-670/83, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त पुलिस महानिरीक्षक जोन्स, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक रनेज, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(अतुल कुमार)
संयुक्त सचिव, गृह।